

स्थानान्तरण-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नियंत्रणाधीन विभिन्न क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में कार्यरत प्रसार/जिला प्रशिक्षण अधिकारियों को स्थानान्तरण नीति 2017-18 में दिये गये प्राविधान के अनुसार एतद् द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 से स्तम्भ-5 में अंकित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती संस्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सौरभ कुमार पाण्डेय	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० दोहरीघाट मऊ	क्षे०ग्रा०वि०सं० चरगवाँ गोरखपुर	स्वयं के अनुरोध पर
2	डॉ० सुरेश चन्द्र	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	जि०ग्रा०वि०सं० रामपुर	क्षे०ग्रा०वि०सं० बिचपुरी आगरा	स्वयं के अनुरोध पर
3	डॉ० छत्रपाल सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० बिचपुरी आगरा	क्षे०ग्रा०वि०सं० लखावटी बुलन्दशहर	स्वयं के अनुरोध पर
4	श्री सुरेश चन्द्र राजपूत	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० लखावटी बुलन्दशहर	क्षे०ग्रा०वि०सं० बिचपुरी आगरा	स्वयं के अनुरोध पर
5	डॉ० रमेश कुमार	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जि०ग्रा०वि०सं० सुल्तानपुर	क्षे०ग्रा०वि०सं० रायबरेली	प्रशासनिक आधार पर
6	डॉ० वरुण चतुर्वेदी	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० बड़ौत-बागपत	जि०ग्रा०वि०सं० रामपुर	जनहित में
7	डॉ० डी०एन० सचान	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० बकेवर इटावा	जि०ग्रा०वि०सं० सुल्तानपुर	जनहित में
8	श्री शहजादे खान	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० गोरखपुर	क्षे०ग्रा०वि०सं० दोहरीघाट मऊ	जनहित में
9	श्री जितेन्द्र कुमार त्रिवेदी	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० मैनपुरी	क्षे०ग्रा०वि०सं० रायबरेली	जनहित में
10	श्री संतोष कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	क्षे०ग्रा०वि०सं० रायबरेली	जि०ग्रा०वि०सं० बरेली	जनहित में

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर नवीन पद का कार्यभार ग्रहण करें। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये जिला/प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

30.6.17
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
महानिदेशक


कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक- 1518 /प्रशि0-स्था0-दो-1(50)/2004-2005

दिनांक 30 जून, 2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित अधिकारी को सम्बन्धित आचार्य, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत-बागपत, रायबरेली, लखावटी बुलन्दशहर, बिचपुरी आगरा, बकेवर इटावा, मैनपुरी, गोरखपुर, दोहरीघाट मऊ, बरेली, सुल्तानपुर, रामपुर।
2. सम्बन्धित आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित जिला/प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत, रायबरेली, बुलन्दशहर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, गोरखपुर, मऊ, बरेली, सुल्तानपुर, रामपुर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत, रायबरेली, बुलन्दशहर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, गोरखपुर, मऊ, बरेली, सुल्तानपुर, रामपुर।
5. जिलाधिकारी, बागपत, रायबरेली, बुलन्दशहर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, गोरखपुर, मऊ, बरेली, सुल्तानपुर, रामपुर।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, संस्थान।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10 वॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. विभागीय गार्ड फाइल।



(डॉ0 डी0 सी0 उपाध्याय)
संयुक्त निदेशक